

राजस्थान आवासन मंडल जयपुर

क्रमांक : प.1(1)/कार्मिक/जलपान व्यय/2007/2685

दिनांक : 5.12.2007

कार्यालय आदेश


मण्डल में विभिन्न अधिकारियों के पास आने वाले आगन्तुकों हेतु जलपान व्यय की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है—

(Amount per month in Rupees)

S. No.	Designation	Amount
1.	CE / Secy / FA & CAO / DL / PRO.	800/-
2.	ACE / DS / CEM / OSD (LAND) / ACTP / DHC / TACM / TAHC / TACE / STP/ Sr AO.	600/-
3.	PPS / RE / Sr. PM / PS / EM (On Dep) / ACP.	300/-
4.	EM / AS / LAO / DTP / LO / AO.	200/-


इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश लागू होंगे --

1. जलपान से सम्बन्धित पूर्व में जारी सभी आदेश निष्प्रभावी हो जाएंगे।
2. अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त महोदय के आगन्तुकों हेतु जलपान के सम्बन्ध में प्राप्त वास्तविक बिल का भुगतान/पुनर्भरण किया जाएगा।
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार बजट प्रावधान प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
4. ये आदेश 1 दिसम्बर, 2007 से लागू होंगे।  
इन आदेशों को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

  
सचिव 5/12/07

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
3. वि. स. एवं मु. लेखाधिकारी/निदेशक विधि/अति. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/उप सचिव/वरिष्ठ नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल ----- (समस्त)
5. उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता, राज. आवा. मण्डल, ----- (समस्त)
6. समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय -----

  
सचिव 5/12/07